Dr. Nutisri Dubey
Assistant Professor
Dept. of Philosophy
H. D. Jain College, Ara

U. G. Sem – IV
MJC – 05 : Western Philosophy

Aristotle – Theory of Causation
(अरस्तू का कारणता – सिद्धान्त)

अरस्तू के दर्शन में कारणता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसने 'कारणता' (Causation) का प्रयोग अत्यन्त व्यापक अर्थ में किया है। किसी वस्तु के कारण के अन्तर्गत वे सभी तत्व सम्मिलित हो जाते हैं जो उसके अस्तित्व की व्याख्या के लिए आवश्यक और पर्याप्त दोनों हों। अरस्तू ने कारणता में कुछ ऐसे कारकों को सम्मिलित कर लिया है जिसे आधुनिक युग में स्वीकार नहीं किया गया है। उसने कारणता के अन्तर्गत भौतिक कारणों के साथ-साथ प्रयोजनमूलक कारण का भी समावेश किया है। कारणता के इस व्यापक अर्थ में चार प्रकार के कारण बताए गये हैं–

(1) उपादान कारण (Material Cause)

(2) निमित्त कारण (Efficient Cause)

(3) आकारिक कारण (Formal Cause)

(4) प्रयोजनमूलक कारण (Final Cause)

उपादान कारण को भौतिक कारण भी कहा जाता है। उपादान या भौतिक कारण से तात्पर्य किसी वस्तु की रचना के लिए प्रयुक्त उपादान (सामग्री) से है। जैसे – घट और पट (वस्त्र) की रचना के लिए प्रयुक्त मिट्टी और तन्तु को क्रमशः घट और पट का उपादान कारण कहा जा सकता है। अरस्तू ने भौतिक कारण का प्रयोग उसके प्रचलित अर्थ से भिन्न एवं व्यापक अर्थ में किया है।

निमित्त कारण के अन्तर्गत वह कारण आता है जो वस्तु में गति या परिवर्तन उत्पन्न करता है। अरस्तू ने 'गति' का प्रयोग भी बहुत विस्तृत अर्थ में किया है। इसमें घट के रूप में मिट्टी के रूपान्तरण से लेकर किसी हरी पत्ती का हरे रंग से पीले रंग में परिवर्तन तक सम्मिलित हो जाता है। अरस्तू ने चार

प्रकार के परिवर्तनों में भेद किया है: (1) संभूति और नाश होना (Becoming and perishing), (2) गुणात्मक परिवर्तन (Qualitative Change), (3) परिमाणात्मक परिवर्तन अर्थात् मात्रा का परिवर्तन (Quantitative Change), (4) संचरण (Locomotion) अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या स्थान परिवर्तन।

अरस्तू निमित्त कारण को ही समस्त गतियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों का कारण मानता है।

अरस्तू ने निमित्त कारण के अतिरिक्त आकारिक कारण को भी स्वीकार किया है। आकारिक कारण किसी वस्तु का सारतत्व है। अरस्तू का आकारिक कारण उसे प्लेटो के निकट ला देता है। किसी वस्तु की परिभाषा में हम उसके सारतत्व अथवा सामान्य लक्षणों का ही निरूपण करते हैं। यह सारतत्व ही आकारिक कारण है। आकारिक कारण को वस्तु का संप्रत्यय भी कहा जा सकता है। किन्तु अरस्तू इसे वास्तविक मानता है, केवल मानसिक अथवा वैचारिक नहीं। यहाँ पर अरस्तू प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सामान्यों के यथार्थवादी सिद्धान्त से प्रभावित प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में सामान्यों को बुद्ध्यपेक्ष मानते हुए भी केवल वैचारिक नहीं माना गया है। वैशेषिक उनकी (सामान्यों की) वास्तविक सत्ता का प्रतिपादन करते हैं। अरस्तू भी सामान्यों को वास्तविक मानता है। किन्तु सामान्यों को वास्तविक मानते हुए भी वह उन्हें विशेषों से पृथक नहीं मानता है। सामान्य विशेषों में व्याप्त होता है।

प्रयोजनमूलक कारण (Final Cause) के अन्तर्गत कर्ता का वह प्रयोजन सम्मिलित है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए जब जुलाहा पट (वस्त्र) का निर्माण करता है अथवा बढ़ई मेज की रचना करता है तो उसका अन्तिम लक्ष्य पूर्ण पट या पूर्ण मेज का निर्माण करना होता है। इससे स्पष्ट है कि अरस्तू का अन्तिम

कारण वह प्रयोजन है जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है अर्थात् वह वस्तु है जिसका निर्माण किया जाता है।

अरस्तू इन चार कारणों को संयुक्त रूप से किसी कार्य के सम्पादन के लिए अनिवार्य और पर्याप्त मानता है। अरस्तू ने इनमें से तीन कारणों — निमित्त कारण, आकारिक कारण और प्रयोजन कारण का अन्तर्भाव आकार (Form) में कर लिया है। वास्तव में ये तीनों कारण आकार के ही भिन्न-2 रूप (अवस्थाएं) हैं। आकारिक कारण किसी वस्तु का सारतत्व या प्रत्यय है। प्रयोजन मूलक कारण उस वस्तु के संप्रत्यय का यथार्थ रूप में रूपान्तरण है। किसी वस्तु का अन्तिम लक्ष्य अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करना है। इसी प्रकार निमित्त कारण वह शक्ति है जो परिवर्तन या गति का प्रवर्तन (संचालन) करता है। बिना निमित्त कारण के परिवर्तन (संभूति) संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में, निमित्त कारण की शक्ति से परिवर्तित होकर आकारिक कारण की अवस्था आती है। अन्तिम कारण ही संभूति का प्रयोजन है। यही वस्तु का अन्तिम लक्ष्य है। सभी वस्तुएं अपने अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही क्रियाशील (गतिशील) हैं। यह परिवर्तन प्रयोजनमूलक (अन्तिम) कारण की प्रेरणा से ही संभव होता है। उदाहरण के लिए, मेज का निमित्त कारण बढ़ई है। किन्तु बढ़ई का लक्ष्य ही उसकी सभी क्रियाओं को संचालित करता है। अतः अरस्तू कहता है कि प्रयोजन (लक्ष्य) ही वास्तविक निमित्त कारण है। बढ़ई का लक्ष्य एक पूर्ण मेज की रचना करना है। यही लक्ष्य उसके मन में लकड़ी में परिवर्तन करके उसे मेज की रचना करने की ओर प्रेरित करता है। इसी आधार पर पूर्वोक्त तीनों कारणों को आकारिक कारण के अन्तर्गत समाविष्ट किया

गया है। किन्तु उपादान कारण अब भी स्वतन्त्र बना रहता है। अरस्तू ने आकार और भौतिक उपादान इन दोनों को अलग-2 स्वतन्त्र कारण माना है। वास्तव में ये दोनों पारमार्थिक कारण हैं। वे एक दूसरे से भिन्न स्वरूप वाले हैं। आकार (Form) को सार्वभौम या सामान्य (Universal) और विचारस्वरूप माना गया है। इसके विपरीत जड़ द्रव्य (Matter) को विशेष (Particular) और पूर्ण रूप से भौतिक माना गया है। इस प्रकार अरस्तू समस्त कारणों का अन्तर्भाव आकार (Form) और जड़ द्रव्य (Matter) इन दो कारणों में कर लेता है। इनकी सहायता से ही अरस्तू समस्त सृष्टि की व्याख्या करता है।

अरस्तू के कारणता सिद्धान्त का प्रयोग मानव निर्मित वस्तुओं पर ही लागू होता है। जैसे घट, पट, मेज आदि पर इसे लागू किया जा सकता है, किन्तु अनेक प्राकृतिक घटनाओं पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। जैसे- शून्य अंश (Zero degree) तापमान पर जल बर्फ के रूप में परिणत हो जाता है। यह एक भौतिक-रासायनिक घटना है। इसके घटित होने में अरस्तू के आकारिक, निमित्त एवं प्रयोजनमूलक कारणों की खोज करना कठिन और अनावश्यक प्रतीत होता है। उनके आकारिक और उपादान कारणों के संप्रत्यय दुर्बोध प्रतीत होते हैं।